



आपदा जोखिम व्यूनीकरण

जल
जीवन
हरियाली



कैलेण्डर
2020



श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (53 की धारा 14) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 3449/आ0प्र0 दिनांक 06.11.2007 के द्वारा हुआ है।
 - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।
 - प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, भा०प्र०स०० (से.नि.) एवं सदस्य डॉ० उदयकांत मिश्र, तथा श्री पी.एन. राय, भा०पु.से (से.नि.) नियुक्त एवं कार्यरत हैं।
 - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं के साथ-साथ निम्न विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करेः
 - (क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण करना।
 - (ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना एवं कार्यान्वयन का समन्वय करना।
 - (ग) प्राधिकरण प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
 - (ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
 - (घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपायों को समाहित कराने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
 - (ङ) आपदा शमन (Mitigation) और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।
 - (च) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गये हों।
 - (छ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन (Mitigation), क्षमतावर्द्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मागदर्शक सिद्धांत जारी करना।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्राधिकरण राज्य के आपदा प्रभावितों को राहत के लिए विस्तृत मानदंड तय करना। परंतु यह मानदंड किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड से कम नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त के साथ-साथ प्राधिकरण वर्तमान में निश्चाकित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है:

- राज्य के अभियंताओं/वारतुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण।
- राज्य के नाविकों एवं नाव मालिकों का सुरक्षित नौका परिचालन पर NINI के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन।
- राज्य के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों का बहु-आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित प्रशिक्षण।
- सड़क सुरक्षा हेतु जन-जागरूकता।

क्या आप जानते हैं?

एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में
लगभग 7570 लीटर तक
पानी की बर्बादी कर सकता है।

जल संरक्षण

जल जीवन का आधार है, जल को बर्बाद न करें।

धरती, पानी, पेड़ बचायें। मौसम सभी समय पर आये।

वर्षा-जल को संरक्षित कर प्रयोग में लायें।

जल है
तो
कल है।

क्या करें, क्या न करें

- ★ ब्रश करते, दाढ़ी बनाते, बर्तन धोते समय बेकार का पानी न बहाएँ तथा नहाते समय बाल्टी से व्यर्थ पानी न बहाएँ।
- ★ बहते/टपकते नल को तुरंत ठीक करायें या उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखे और उस पानी का उपयोग करें।
- ★ वाशिंग मशीन में थोड़े-थोड़े कपड़े धोने के बजाए इकट्ठे कपड़े धोएँ।
- ★ रसोईघर में इस्तेमाल किये गये पानी को पौधों की सिंचाई के उपयोग में लायें।
- ★ पीने का पानी आवश्यकतानुसार ही ग्लास में लें।
- ★ नहाने के लिये शॉवर की जगह नल का प्रयोग करें।
- ★ चापाकल से उतना ही पानी निकालें जितनी जरूरत हो।
- ★ सब्जियों/फलों को धोने के लिये बड़े भगोने या बर्तन में पानी भर कर धोयें।
- ★ पौधों में पानी पाईप की बजाय वाटर कैन से डालें।
- ★ गीजर में गर्म पानी आने से पहले ठण्डा पानी आता है, उसे फेंकें नहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करें।
- ★ नालियाँ साफ रखें क्योंकि इसकी सफाई में काफी पानी बर्बाद होता है।
- ★ पेड़—पौधे अधिक से अधिक लगाएँ ताकि समुचित बारिश हो और पानी की कमी न हो।
- ★ जल संरक्षण के उपायों को अपनाते हुए अपने घर एवं आस-पास जल संरक्षण के उपायों को अपनायें।

शीतलहर

क्या करें, क्या न करें

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान सामान्य तापक्रम से 7 डिग्री से ० से कम हो जाय तो इसे शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। शीतलहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शीतलहर या ठंड लगाने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं:-

1. शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना।
2. अत्यधिक कपकपी या ठिठुरना।
3. बार-बार जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय:-

- ✓ अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
- ✓ यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
- ✓ समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
- ✓ शरीर में उष्ण के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।

- ✓ कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धूंधें के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
- ✓ हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा शीतलहर में सार्वजनिक स्थलों पर की गई अलाव की व्यवस्था का लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा शाही क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन-बसरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/विस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करें।
- ✓ उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
- ✓ विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सीय परामर्श लें।
- ✓ पशुओं का बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगाने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।

शीतलहर



विकास का यही है नारा, आपदानुकूल हो बिहार हमारा

2020 January

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

02 – गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती; 26 – गणतंत्र दिवस; 30 – वसंत पंचमी

भूकम्प से बचाव

हमारे राज्य के सभी जिले भूकम्प के किसी न किसी जोन से आते हैं। भूकम्प की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। भूकम्प कभी भी आ सकता है। भूकम्प से बचने हेतु निम्नानुसार सलाह दी जाती है।


भूकम्प से पहले



घर को सुदृढ़ कर भूकम्परोधी बनाएं।



भारी एवं शीर्षो का सामान निचले खाने में रखें।



अलमारी को व्हैक्स से दीवार में जकड़ दें।



बचाव एवं प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।



आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।



अपने आस-पास सुरक्षित स्थलों की पहचान करें।



स्कूलों-दूकों-पकड़ो का नियमित अध्यास करें।

भूकम्प के दौरान



हडबडाकर मत भागें।



कमरे के अंदरनी कोने के पास रहें।



मजबूत टेबल या ऊर्चे पलंग के नीचे छिप जाएं।



गिरने वाली चीजों से दूर रहें।



सिर को बचाएं।



यदि मजबूत मकान में हैं, तो वहाँ बने रहें।



यदि किसी ऊर्ची इमारत में हैं, तो वहाँ बने रहें।



यदि सिनेमा या मॉल में हैं, तो अपनी जगह पर शांत रहें, झटका लूकने पर, क्रम से बाहर निकलें।



यदि निकास द्वार के पास हो शीघ्र बाहर निकल जाएं।



यदि कमज़ोर मकान में हैं तो शीघ्र बाहर निकलें।



लिफ्ट का उपयोग मत करें।



यदि गाड़ी चला रहे हैं, तो सड़क के किनारे रुकें, पुल पर न चढ़ें।

भूकम्प के बाद



गिरने वाली चीजों से दूर हो जाएं।



शीशे की खिड़कियों से दूर हो जाएं।



विजली पोल, विहारण बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।



खुले मैदान में आ जाएं, घायलों को मदानगता करें।



गैस सिलिंडर बन्द करें।



मेन स्वीच ऑफ करें।



घर से बाहर निकलें।



सीढ़ी से उतरें।



लिफ्ट का उपयोग न करें।

इमरजेंसी फोन नं.

पुलिस – 100

अग्निशमन – 101

एम्बुलेंस – 102, 108

आपदा नियंत्रण कक्ष, पटना : 0612-2217301, 2217305

भ्रूकम्प सुरक्षा



2020
February

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

09 – संत रविदास जयन्ती; 21 – महाशिवरात्रि

सामाजिक भागीदारी, आपदा पर भारी

चक्रवाती तूफान

गर्मी के मौसम में कमोवेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जन-जीवन प्रभावित हुआ था तथा जन-धन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोवेश सभी जिलों में आँधी की घटनाओं के चलते जन-धन की भी क्षति होती है।



चक्रवाती तूफान / तेज आँधी से बचने के उपाय:-


- ★ जब तक आँधी तूफान शांत न हो जाय, तब तक घर से बाहर न निकलें।
 - ★ आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें।
 - ★ रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
 - ★ पुराने और ~~क्षतिग्रस्त~~ भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें।
 - ★ बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है।
 - ★ घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें।
- चक्रवाती तूफान या आँधी से बचाव हेतु ढालदार छत का निर्माण:-**

- वायु गति के प्रभाव से बचने के लिये, एक या दो तरफ ढाल के बदले, चारों तरफ ढलान वाली छत बनानी चाहिए। वर्षा से दीवारों के बचाव हेतु चारों तरफ छत 18 इंच तक लटका सकते हैं। लटकी हुई कड़ी के अंतिम पर्लिन को दीवार के साथ कसकर बाँधना चाहिए।
- वायु चूषण के कारण छत के ऊपर उठने के प्रभाव को कम करने के लिए, छत की ढाल 2:1 (2 पड़े : 1 खड़े) अनुपात में बनायें।
- स्टील चादर वाली छतों की संरचना ढाँचे में बाँस की मुख्य कड़ी 600 मि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं रखी


जाये। खपरैल छतों में यह 300 मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। खपरैल छतों में तार (GI wire) से तिरछी बन्धनी लगाएं।

- छत के जस्ती स्टील चादर (GI sheet) को, अलकतरा वाशर एवं लोहे के वाशर के साथ, J बोल्ट के सहारे या पेंच के सहारे, छत की कड़ी (पर्लिन) से जकड़ दें।

- जहाँ आँधी का प्रकोप ज्यादा हो तो U बोल्ट लगायें।



यदि टोपीदार कील का उपयोग करना हो तो, वे इतने लम्बे हों कि कड़ी की दूसरी तरफ कील पार कराकर मोड़ा जा सके। इन कीलों अथवा J बोल्टों की परस्पर दूरी 18 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छत के निचले भाग के उपर स्टील की बत्ती लगाकर, J बोल्ट के सहारे सबसे निचले पर्लिन के साथ बाँध सकते हैं।



नोट :- हल्की सामग्री से बनी छत जो दीवार के साथ सुदृढ़ता पूर्वक न जुड़ी हों, वो उड़ सकती हैं।



चक्रवाती तूफान/ काल वैशाखी



जानकारी रखना, आपदा से बचना

2020

March

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

10 से 11 – होली; 22 – बिहार दिवस

जलवायु परिवर्तन



जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर धूप ही धूप, खो देंगे हम तिली और फूल

मानवजनित कारणों से होने वाला जलवायु परिवर्तन आज समाज के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, जिससे समय निपटना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मौसम चक्र पर हो रहा है। अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी तथा वर्षापात की अनियमितता काफी हद तक जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है। बिहार राज्य की लगभग तीन चौथाई आबादी जो अपनी जीविका के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन कृषि के साथ-साथ, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों को भी कुप्रभावित कर रहा है। समय रहते जलवायु परिवर्तन के कारकों को न्यून करना एवं जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने से इस समस्या से काफी हद समाधान पाया जा सकता है।

- जलवायु परिवर्तन पर कार्य करनेवाली संस्था—Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) के अनुसार औद्योगिक क्रान्ति के समय से अभी तक पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1°C की वृद्धि हो चुकी है।
- पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों यथा कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साईड की मात्रा में वृद्धि होना है।
- जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ रहा है। जिसका परिणाम अत्यधिक गर्मी/सर्दी के साथ-साथ वर्षापात की मात्रा एवं अनियमितता के रूप में परिलक्षित हो रहा है।
- जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है कि राज्य के कई जिलों में एक साथ जहाँ एक स्थान पर अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है, साथ ही उसी जिले के दूसरे भाग में अल्प वर्षा से सुखाड़ की स्थिति आम हो गई है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के चारों ओर ओजोन

परत के रूप में सुरक्षित कवच का हास हो रहा है, जिससे मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर बेहद खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है।

- विभिन्न संसाधनों यथा जल, वायु, मृदा, जीवाश्म ईधन, विद्युत, एयर-कंडिशनर इत्यादि का आर्थिक सदुपयोग कर जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक नियन्त्रित किया जा सकता है।
- विकास एवं अन्य कार्य-कलापों में बदलते परिवेश के आलोक में अनुकूलन (Adaptation) से जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।
- बदलते मौसम के अनुरूप कृषि पद्धति एवं फसलों में परिवर्तन/अनुकूलन से कृषि पर कुप्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- वृहद स्तर पर वृक्षारोपण, जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यून करके जलवायु परिवर्तन के कारकों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन



हरियाली लौटाना है, आपदा दूर भगाना है।

2020

April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

01 – सम्राट् अशोक अष्टमी ; 02 – रामनवमी ; 06 – महावीर जयन्ती
09 – शब्द-ए-बारात ; 10 – गुडफ्राइडे ; 23 – वीर कुँवर सिंह जयन्ती

अगलगी



गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तो गांवों में अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं तथा घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है।

क्या करें, क्या न करें

क्या करें

- ✓ रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें तथा रसोई घर की छत ऊँची रखें।
- ✓ आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- ✓ हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले सम्पन्न कर लें।
- ✓ शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- ✓ मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी—घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें एवं उनकी निगरानी अवश्य करते रहें।
- ✓ पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- ✓ जहाँ पर सामूहिक भोजन बनाने इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन झूम पानी अवश्य रखें।
- ✓ जहाँ तक संभव हो गर्मियों में दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएँ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे भुनते हैं। ऐसे में आग लगाने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- ✓ आग लगाने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।

- ✓ अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर/लुढ़क कर बुझाने का प्रयास करें।

- ✓ बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगाने का कारण बन जाती है। अतएव जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये उर्जा विभाग/सर्वधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें।

क्या न करें

- ✗ दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगाने की संभावना हो।
- ✗ कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगायें।
- ✗ घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- ✗ भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं करें।
- ✗ जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर ना फेकें।
- ✗ खाना बनाते समय ढीले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें। हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।

सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।

अगली



2020

May

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

01 – मई दिवस; 02 – जानकी नवमी; 07 – बुद्ध पुर्णिमा; 25 – ईद

हरियाली लौटाना है, आपदा दूर भगाना है।

लू/ गर्म हवाएँ

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में दिये गये विभिन्न उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।



गर्म हवाओं/लू से सुरक्षा के उपाय

- ✓ जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार-बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- ✓ जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले-ढाले एवं सूती कपड़े पहनें। धूप के चश्में का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढके व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- ✓ हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे— तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।
- ✓ घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक-चीनी का घोल, छाँच, नींबू-पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- ✓ अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- ✓ जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- ✓ रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- ✓ स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- ✓ अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

क्या करें, क्या न करें

लू लगाने पर क्या करें

- ✓ लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- ✓ लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- ✓ उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- ✓ उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार-बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- ✓ उस व्यक्ति को ओ0 आर0 एस0 /नींबू – पानी नमक चीनी का घोल, छाँच या शर्वत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- ✓ लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाये।

क्या न करें

- ✗ जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- ✗ अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- ✗ चाय, काफी जैसे— गर्म पेय तथा जर्दा/तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन न करें।
- ✗ ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे— मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- ✗ यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण पानी की उल्टियां करें या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने-पीने को न दें।
- ✗ बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।

ଲୁଗର୍ମ ହଵାଏଁ



2020

June

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

05 – କବୀର ଜୟନ୍ତୀ

ରୋନା ଛୋଡ଼ୋ, ମିଳାଓ ହାଥ, ଆପଦାଓମେ ଦେ ନିପଟେଙ୍ଗେ ହମ ସାଥ-ସାଥ

झूबने से होने वाली मौतें



वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों/तालाबों में स्नान करने, कपड़ा एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान विभिन्न नागरिकों मुख्यतया किशोर/किशोरियों की मृत्यु झूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :-

क्या करें, क्या न करें

क्या न करें:-

- खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।

क्या करें:-

1. बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
2. बच्चों को पुल/पुलिया/उंचे टीलों से पानी में कूद कर पानी में स्नान करने से रोकें।
3. नदी में उत्तरते समय गहराई का ध्यान रखें।
4. झूबने व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए शोर मचायें।
5. गांव/टोले में झूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

झूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें:-

- (क) सबसे पहले देख लें, यदि झूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।
- (ख) नाक और मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि झूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।
- (ग) नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।

(घ) नब्ज व सांस का पता नहीं चलने पर झूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3-4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।

(ङ) प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने/सांस ले सकने की स्थिति में हैं तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(च) यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।

(छ) झूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे-धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।

(ज) झूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहरे सुलाएँ तथा आराम करने दें।

(झ) मूर्ढी या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।

(ज) उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।

(ट) डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।

सुरक्षित तैराकी



2020

July

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

जानकारी दखना, आपदा से बचना

वज्रपात



बिहार राज्य में औँधी— पानी के साथ ठनका (वज्रपात) गिरने की काफी घटनाएं होती हैं। ठनका लगने से कई लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना प्राप्त होती है। सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय ठनका गिरने की घटनाएं होती हैं। ठनका गिरने से जन—धन को होने वाली हानि से बचाव के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। इससे बचने हेतु निम्न सुझाव पर अमल करना चाहिए –

क्या करें, क्या न करें

- यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- बिजली की सुचालक वस्तुओं से दूर रहें तथा बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनायें रखें।
- समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग—अलग खड़े रहें।
- यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों की शरण में चले जायें।
- बाहर रहने पर ऊँची ईमारतों वाले क्षेत्रों, बिजली एवं टेलिफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें और उनसे दूर रहें।
- धातु से बने कृषि यंत्र तथा छड़, छाता आदि से अपने को दूर कर दें।
- आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करें।
- स्थानीय रेडियो तथा अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो –
 - (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे— लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
 - (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।
 - (ग) जमीन पर कदापि न लें।

वज्रपात



रोना छोड़ो मिलाओ हाथ, आपदाओं से निपटेंगे हम साथ-साथ

2020
August

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

01 – बकरीद; 11 – जन्माष्टमी; 15 – स्वतंत्रता दिवस; 30 – मोहर्रम

बाढ़



बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं।

क्या करें, क्या न करें

- ◆ अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- ◆ घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हा।
- ◆ आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
- ◆ पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग में कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, इत्यादि रखें।
- ◆ मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- ◆ चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।
- ◆ अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएँ।
- ◆ बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- ◆ बाढ़ के दौरान खाना ढंक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।
- ◆ चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें।
- ◆ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- ◆ अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- ◆ ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- ◆ नल के पानी को उबालकर तब तक पीयें जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- ◆ सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- ◆ बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोकें।

बाढ़



घर सुरक्षित, हम सुरक्षित, बाँध सुरक्षित, सब सुरक्षित

2020 September

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

नाव दुर्घटना



क्या करें, क्या न करें

नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओवरलोड नाव पर न बैठें।
- जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- सूर्योदय से पहले और सूर्योस्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक या नाव मालिक कृपया ध्यान दें

- जब तेज हवा / खराब मौसम/ आँधी/ बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से उपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों / गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें।

नाव दुर्घटना



जलवायु को संतुलित करना होगा, तभी तो हरा-भरा आँगन होगा।

2020
October

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

02 – गांधी जयन्ती; 08 – चेहल्लुम; 24 से 26 – दुर्गा पूजा

वायु प्रदूषण



क्या करें, क्या न करें

- घरेलु उपयोग हेतु यथासंभव निर्धूम चूल्हा, सोलर कूकर, एल०पी०जी० या बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करें।
- अपने वाहनों की ट्रूयनिंग सही रखें ताकि वाहन उत्सर्जन से प्रदूषण की समस्या न हो। अपनी गाड़ी का प्रदूषण स्तर हर तीन महीने के अंतराल पर जाँच करवायें और उसे सही रखें।
- निजी वाहनों के उपयोग के बदले वाहन पूलिंग/सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें।
- डीजल एवं पेट्रोल चालित टेप्पू के स्थान पर ई.-रिक्षा की सवारी को प्रोत्साहित करें।
- अधिक से अधिक साईकिल का इस्तेमाल करें।
- नगरीय क्षेत्र के सड़कों की सफाई करने से पूर्व पानी छिड़काव किया जाए।
- सड़कों, पुलों आदि के निर्माण अथवा मरम्मति के दौरान पानी का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
- औद्योगिक इकाई अपने उत्सर्जन को मानक के अनुकूल बनाए रखें।
- वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं अपने घरों के आस-पास पेड़-पौधों की देखभाल ठीक से करें।
- जिस कमरे में कूलर, पंखा या एयरकंडिशनर जरूरी हो, वहीं चलायें, बाकि जगह बंद रखें।
- बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है इसलिए जब वातावरण में प्रदूषण अधिक हो तो घरों के अंदर चले जाएँ।
- वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के प्रति आमजनों को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं से प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
- जीवाशम ईंधनों यथा-कोयला इत्यादी का अंगीठी में उपयोग न करें।
- ठोस कचरों, टॉयर, जैविक अपशिष्ट, बागवानी से जनित अपशिष्ट आदि को खुले मैंन जलाएँ।
- निर्माण सामग्री यथा-बालू, गिर्डी, मिट्टी का परिवहन ढक कर किया जाए तथा इनका आम सड़क पर भंडारण नहीं किया जाय।
- जब जरूरत न हो तो बिजली का इस्तेमाल न करें।
- फसलों के अवशेष/डंठल/टूँठ/भूसा को न जलायें ऐसा करने से वायु प्रदूषण फैलता है एवं फेफड़ों और दिल की बीमारी आदि का खतरा पैदा होता है।

वायु प्रदूषण



पर्यावरण की रक्षा में दीपाली योगदान, प्राणी जगत की रक्षा में दीजिए महादान

2020
November

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

14 – दीपावली; 16 – चित्रगुप्त पूजा; 20 – छठ पूजा; 30 – गुरुनानक जयन्ती/हजरत मोहम्मद जयन्ती

सड़क सुरक्षा

कृपया ध्यान दें

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में हो रही है, जिससे व्यक्ति एवं उनके परिवार को काफी क्षति होती है। थोड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं :

क्या करें, क्या न करें :

- ✓ सड़क पार करते समय दायें, बायें देख कर ही पार करें। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें।
- ✓ सड़क के बायें चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें।
- ✓ सड़क जेबरा क्रॉसिंग से ही पार करें।
- ✓ सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- ✓ बिना लाईसेंस का वाहन न चलाएं?
- ✓ दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- ✓ वाहन चलाते समय सेल्फी न लें।
- ✓ थकान महसूस करने पर गाड़ी न चलाएं।
- ✓ सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
- ✓ नशे की हालत में गाड़ी कदापि न चलाएं।
- ✓ ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- ✓ गाड़ी दायें और बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत (Indicator) अवश्य दें।
- ✓ सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का ईलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- ✓ वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं अग्निशामन सेवा की गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- ✓ गाड़ी हमेशा उचित रथाप पर सड़क के बायें किनारे पर खड़ी करें। साथ ही हमेशा बायीं तरफ से ही उतरें।
- ✓ गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
- ✓ सड़क का चौराहा/तिराहा पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी से पार करें।
- ✓ रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।
- ✓ गाड़ी की समय-समय पर सर्विसिंग कराते रहें।

सड़क सुरक्षा



सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएँ, अनगोल जीवन को सुरक्षित बनाएँ।

2020 December

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

25 – क्रिसमस

भगदड़



बिहार में दुर्गापूजा, छठ, कुंभ मेला, ईद, मुहर्रम आदि जैसे त्योहारों के अवसर पर बहुत भीड़ होती है, जिससे भगदड़ हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि भगदड़ के दौरान मरने वाले ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं होती हैं। थोड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर भगदड़ को नियंत्रित कर सकते हैं :

वर्धा करें, वर्धा न करें

क्या करें !

- ★ विजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें।
- ★ पंडालों/मेले में चलते—फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएं।
- ★ यदि आप छोटे बच्चों, महिलाओं, बीमारों या वृद्धों को मेले में लेकर जा रहे हैं तो उनकी जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन / मोबाइल नंबर साथ रखें।
- ★ यदि आप परिवार या समूह के साथ हैं तो किसी आपात स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नंबर साथ रखें।
- ★ भगदड़ होने पर धैर्य रखें और घबराएं नहीं।
- ★ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें।
- ★ प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उसके अनुसार व्यवहार करें।

क्या न करें !

- ★ किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें।
- ★ मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़ें, न ही उन्हें इधर-उधर जाने दें।
- ★ मेले में किसी भी प्रकार के पटाखे/ ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं तथ धूम्रपान न करें।
- ★ मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं।
- ★ मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले पानी के भीतर न जाएं।

पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पट्टा घोषणा पत्र

बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 की वृहत कार्ययोजना की पृष्ठभूमि में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) के दौरान आज दिनांक 5 जून, 2018 को आयोजित आपदाओं के दौरान घोषण एवं स्वारक्ष्य सेवाओं के निर्धारण संचालन संबंधी कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नांकित प्रतिबद्धताओं को अंगीकार किया जाता है। इन प्रतिबद्धताओं को राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज मिलकर पूरा करेंगे।

पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन की समीकित कार्य-योजना निम्नानुसार हैं—

1. सभी हाथाभियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को संशोधित बनाया जाएगा।

(कार्रवाई—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (नोडल विभाग), नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पारंपरिक जल निकाय अतिक्रमण मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र द्वारा पारंपरिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं जल ग्रहण क्षमता वृद्धि के स्थायी उपाय किए जाएंगे।

(कार्रवाई—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (नोडल विभाग), नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा (शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में) कि

कूड़ा—कचरा पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण में बाधा न बने एवं उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थितीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन हो।

(कार्रवाई — नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पारंपरिक जल निकायों के क्षेत्रफल एवं प्रकृति में किसी तरह का बदलाव या फेर-वदल न किया जाय और न ही उसके जल ग्रहण क्षमता में कमी आने दी जाय, इसके लिए विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत उसका जीर्णद्वारा कराया जायेगा।

(कार्रवाई — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

5. चयनित पारंपरिक जल निकायों का सौंदर्यीकरण कर उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा तथा उसमें वर्ष भर जल संचयित रहे इसके लिए तकनीकी एवं भौतिक स्तर पर प्रयास किया जायेगा।

(कार्रवाई — नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग, कृषि विभाग (बागवानी मिशन), जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथा संभव सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की तकनीकी का समावेश हो एवं निजी भवनों में इसके लिए जन-मानस को भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जायेगा।

(कार्रवाई — सभी संबंधित विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ, नगर निकाय, राज्य, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज एवं एजेंसीज)

7. सामुदायिक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं को समाहित करते हुये समावेशी एवं सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों को अक्षण्य व जीवंत बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में पारिस्थितिक जैव-विविधता पर भी ध्यान दिया जायेगा।

(कार्रवाई — ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ, नगर निकाय, राज्य, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज एवं एजेंसीज)

8. तकनीकी संस्थानों एवं विज्ञान का समुचित उपयोग कर सभी पारंपरिक जल निकायों की geo & tagging करायी जाएगी। जिससे उसकी पहचान GIS मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सके तथा जल संचयन एवं संरक्षण में तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

(कार्रवाई — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा सभी संबंधित विभाग एवं निकाय)

9. पारंपरिक जल निकायों को संरक्षित एवं सुप्रबंधित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

(कार्रवाई — सभी संबंधित विभाग एवं निकाय)

10. उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय, समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए विभिन्न स्तरों पर बहुहितभागी समन्वय व अनुश्रवण समूह का गठन किया जायेगा।

(कार्रवाई — सभी संबंधित विभाग एवं निकाय)

इन्हीं 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन की विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग से पूरी की जायेंगी। यह घोषणा पत्र दिनांक 5 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह—2018 के पंचम दिवस पर सभी संबंधित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

January 2021

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

February 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

March 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

April 2021

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

May 2021

S	M	T	W	T	F	S
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

June 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

July 2021

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

August 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

September 2021

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

October 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2			
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

November 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

December 2021

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	